

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1672/2013/पाली

मैसर्स दीन दयाल वर्मा

रानी, पाली

अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त(प्रशासन)

वाणिज्यिक कर विभाग, पाली

2. वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त-सुमेरपुर

प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.पी.दोसाया

अभिभाषक

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.06.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर, पाली (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त संख्या 85 दिनांक 03.02.2012 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि 2009-10 के त्रैमासिक/वार्षिक विवरण पत्र 10 प्रस्तुत किये गये एवं अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में कर जमा रसीदों प्रापत्र वैट 07 वैट 09 एवं सम्बन्धित व्यापारिक दस्तावेज दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय वृत्त सुमेरपुर(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में उक्त दस्तावेजों प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 24(3) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.12.2011 को आदेश पारित करते हुए रु. 2,89,375/-की मांग सृजित कर दी। उक्त सृजित मांग के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि का कर निर्धारण रि-ओपेन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।


अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी सिविल कान्ट्रेक्टर है एवं नगरपालिका, रानी में सिविल वर्क का ठेका लेकर कार्य करता है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.12.2011 पारित कर रु.

3,89,375/- मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि उसके द्वारा किये गये कार्यों से प्राप्त राशि में से नगरपालिका द्वारा वैट काट लिया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा काटे गये टी डी एस का क्रेडिट नहीं दिया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा **bulk work** का निर्धारण किया गया है जबकि उसके द्वारा **bulk work** नहीं किया गया है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारियों के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण पारित करने हेतु कई नोटिस जारी किये हैं, किन्तु नोटिस तामिली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.2011 को दिनांक 21.12.2011 के लिए रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और ना ही उसकी ओर से कोई उपस्थित हुआ है। उक्त तथ्यों के होते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.12.2011 को पारित किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया है :-


“विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि के कथनों को सुना गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा कर निर्धारण अधिकारी ने प्राप्त टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को सुनवाई हेतु सम्मत दिनांक 29.11.2011 को जारी



कर दिनांक 21.12.2011 को उपस्थित होने का रजिस्टर्ड ए डी डाक द्वारा भेजा, जो व्यवहारायी स्वयं को तामील हुआ है। व्यवहारी को विवादित कर निर्धारण आदेश मय मांग पत्र 2.01.2012 को रजिस्टर्ड ए डी डाक द्वारा भेजा गया है। रिकार्ड के अनुसार व्यवहारी को सुनवाई हेतु सम्मत दिनांक 21.12.2011 का जारी किया गया है। जिस पर व्यवहारी ने अपने आपको अस्वस्थ होना बताकर चिकित्सा प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2011 से 21.11.2011 एवं दिनांक 23.01.2011 को प्रस्तुत किये हैं, जबकि इस अवधि में व्यवहारी को कोई तारीख पेशी नहीं दी गई है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य हैं इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में भी नहीं है क्योंकि उक्त रोग प्रमाण पत्र राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित है न कि व्यवहारियों के लिए। अतः ऐसी स्थिति में धारा 34 का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।”

उपरोक्त निष्कर्ष एवं अपीलीय अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ 9 पर पत्रावली पर उपलब्ध रोग प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2011 से दिनांक 22.11.2011 तक के लिए दिनांक 20.1.2011 को जारी किया गया है, जो बीमार होने से 10माह पूर्व की तारीख है। जबकि आरोग्य प्रमाण पत्र में उसे दिनांक 23.01.2011 को जारी कर अंकित किया है कि "Fit to resume duty on date 23.01.2011" स्वस्थ होने की दिनांक भी बीमार होने के 10माह पूर्व की है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त रोग एवं आरोग्य प्रमाण पत्र मिथ्या एवं फर्जी है। इसके अतिरिक्त जिस तारीख का रोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उन तारीखों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं की गई है इसलिए उसकी प्रासांगिकता इस वाद से नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, जो उचित एवं विधिक है। फलतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य